जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर **दिनांक – 25.10.2024**

थाना बढापुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

थाना बढापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त सोनू पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम टांडा साहूवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर को एक प्लास्टिक का बैग (कट्टा) जिसमे अवैध कच्ची शराब के 56 पाउच मिले, (कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब) सहित गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 211/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम सोनू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम टांडा साहूवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 2428 अरविन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 2454 अरविन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 25.10.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही –

दिनांक 12.09.2020 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त जुनैद पुत्र अमजद निवासी मौ0 हजरतनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की नाबालिग बहन के साथ गलत कार्य किया गया। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 295/2020 धारा 376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 25.10.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त जुनैद पुत्र अमजद निवासी मौ0 हजरतनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 10,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

जुनैद पुत्र अमजद निवासी मौ0 हजरतनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 25.10.2024**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा लूट एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹ 50,000 /- के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही –

दिनांक 19.11.2007 को वादी श्री विवेक बंसल उर्फ बन्टी पुत्र श्री चन्द्रपाल गुप्ता निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना थाना नहटौर पर तहरीर दी कि दिनांक 18/19.11.2007 की रात्रि में समय करीब 01.00 बजे अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर लूटपाट की गयी तथा शोर मचाने पर वादी के पिता श्री चन्द्रपाल गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी । इस सम्बंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 1440/2007 धारा 396 भादवि पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 25.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश 03, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 396 भादवि के आरोपी अभियुक्त काले उर्फ शाह आलम पुत्र जाबिर निवासी ग्राम श्यामपुर मुस्तफाबाद थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व ₹ 50,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर ढाई वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

काले उर्फ शाह आलम पुत्र जाबिर निवासी ग्राम श्यामपुर मुस्तफाबाद थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 25.10.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	शेरकोट	छोटे पुत्र हरदेव निवासी मौहल्ला आचारजान कस्बा व थाना शेरकोट
2	शेरकोट	सुरेश पुत्र रामस्वरूप निवासी मौहल्ला आचारजान कस्बा व थाना शेरकोट
3	शेरकोट	मौ0 साबिर पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 निकम्माशाह कस्बा व थाना शेरकोट
4	को0 देहात	तुषार पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम शादीपुर थाना कोतवाली देहात बिजनौर
5	धामपुर	तरूण कुमार उर्फ पासिल कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी मौ0 पुराना धामपुर थाना धामपुर
6	नहटौर	चांद मौहम्मद पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम निजातपुरा थाना नहटौर बिजनौर।

थाना शेरकोट

थाना को0 देहात

थाना धामपुर

थाना नहटौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट **दिनांक – 25.10.2024**

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 124/2024 धारा 382 भादवि व मु0अ0सं0 181/2024 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को एक अवैध चाकू व नगदी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.06.2024 को वादी श्री हेमराज सिंह पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम नगला नत्था थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि दिनांक 03/04.06.2024 की रात्रि में करीब 12.30 बजे एक पिक-अप में 03-04 लोग आये और वादी के घर के बाहर बंधी भैंस को चोरी कर ले जाने लगे, जिनकी आहट की आवाज सुनकर वादी ने उनका पीछा किया तो एक चोर ने वादी के सिर में डंडा मार दिया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 124/2024 धारा 382 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 18.09.2024 को वादी श्री शेर सिंह पुत्र कलवा सिंह निवासी ग्राम नगला बुद्धवा उर्फ नशीरदीवाला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि दिनांक 13/14.09.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से एक भैंस तथा एक कटिया एवं वादी के भाई श्रीपाल सिंह की कटिया को चोरी कर ली गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 181/2024 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 25.10.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आये अभियुक्त रिहान पुत्र रहीश निवासी रहटा बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू व 1520 /- रुपये बरामद किये गये। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगो में प्रकाश में आये 04 अन्य अभियुक्तगण 1.ब्रिजेश कुमार 2.शादाब उर्फ लल्लन 3.भूरा उर्फ इकबाल कुरैशी 4.अनीश कुरैशी को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिहान पुत्र रहीश निवासी रहटा बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

बरामदगी –

एक अवैध चाकू व 1520 /- रुपये

अभियुक्त रिहान का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 352/2020 धारा 380/411 भादवि थाना ठाकुद्वारा जनपद मुरादाबाद

2.मु0अ0सं0 353/2020 धारा 51 आपदा प्रबन्धन अधि0 व धारा 188/269/270/307/399/402 भादवि व धारा 3 माहमारी अधि0 थाना ठाकुद्वारा जनपद मुरादाबाद

3.मु0अ0सं0 354/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना ठाकुद्वारा जनपद मुरादाबाद

4.मु0अ0सं0 124/2024 धारा 382 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 181/2024 धारा 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 244/2024 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह राठी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 (प्रशिक्षु) गौरव मलिक थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

4.कां0 1731 गजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 25.10.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 576/24 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गाडी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.10.24 को वादी श्री जयवेन्द्र सिंह पुत्र श्री शीलचन्द निवासी ग्राम बसेड़ी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 30.12.2023 को वादी ने कौशेन्द्र पुत्र पुखराज निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक लाख बीस हजार रुपये उधार दिये थे, जिसके बदले में कौशेन्द्र ने अपनी ट्रैवर गाडी रजि0नं0 UP20BT2511 वादी के पास खडी कर दी थी । दिनांक 24.10.2024 को दोपहर के समय वादी जीवन ज्योति अस्पताल में गया था तथा जब हॉस्पिटल से बाहर आया तो गाडी वहाँ पर मौजूद नही थी। हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों को चैक किया तो गाडी को कौशेन्द्र ले जाता हुआ दिखाई दिया। कौशेन्द्र उपरोक्त ने वादी के पैसे भी वापस नही किये और एग्रीमेन्ट करने के बावजूद अपनी गाड़ी को भी धोखे से ले गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 576/2024 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस बनाम कौशेन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 25.10.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नाम कौशेन्द्र पुत्र पुखराज निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को ट्रैवर गाडी रजि0सं0 UP20BT2511 सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने कुछ समय पहले जयवेन्द्र से पैसे उधार लिये थे, जिसके सम्बंध में मैने इस गाडी को जयविन्द्र सिंह को दे रखा था तथा इसका एक लिखित एग्रीमेन्ट भी करा रखा था। मैं पैसे वापस नही दे पा रहा था तो मेरे मन में बेईमानी आ गयी । मेरे पास गाडी की दूसरी चाबी थी। दिनांक 24.10.2024 को दोपहर के बाद जब मैने देखा कि जयविन्द्र सिंह गाडी खडी करके जीवन ज्योति अस्पताल में गया है तो मैं अपने पास मौजूद चाबी से गाडी स्टार्ट करके ले गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कौशेन्द्र पुत्र पुखराज निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

ट्रैवर गाड़ी रजि0सं0 UP20BT2511

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.कां0 585 सौरभ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.कां0 810 मोनू कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 25.10.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 412/24 धारा 303(2) बीएनएस मे वांछित दो अभियुक्तों को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.10.2024 को वादी श्री संजीव कुमार पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के गांव मे बने श्री शिवमठ मन्दिर से लोहे की जंजीर मे लगी घन्टिया चोरी कर ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 412/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.वैभव राजपुत पुत्र श्री नरेश कुमार राजपुत निवासी ग्राम गौहावर जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 2.प्रदीप गुप्ता पुत्र श्री सर्वेश कुमार गुप्ता निवासी गौहावर हल्लू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये।

कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण 1.वैभव राजपुत पुत्र श्री नरेश कुमार राजपुत निवासी ग्राम गौहावर जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 2.प्रदीप गुप्ता पुत्र श्री सर्वेश कुमार गुप्ता निवासी गौहावर हल्लू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की गई मन्दिर की घन्टिया (21 छोटी-बडी घन्टिया व एक घन्टी टांगने की लोहे की जंजीर) बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.वैभव राजपुत पुत्र श्री नरेश कुमार राजपुत निवासी ग्राम गौहावर जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.प्रदीप गुप्ता पुत्र श्री सर्वेश कुमार गुप्ता निवासी गौहावर हल्लू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी की गई मन्दिर की घन्टिया (21 छोटी-बडी घन्टिया व घन्टी टांगने वाली लोहे की एक जंजीर)

पुलिस टीम

1.उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2 उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3.हे0का0 593 ब्रजकिशोर शर्मा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

4.का0 1800 गौरव कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़ दिनांक – 25.10.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 327/24 धारा 137(2)/64 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.10.2024 को वादी ने थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि दिनांक 16.10.2024 को वादी की नाबालिग पुत्री को सनी पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम गढी नेगी थाना कुंडा जनपद उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 327/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम सनी उपरोक्त पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 25.10.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सनी पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम गढी नेगी थाना कुंडा जनपद उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सनी पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम गढी नेगी थाना कुंडा जनपद उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

2.म0कां0 258 सुनीता रानी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ दिनाँक 25.10.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को 10 ली0 अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिंनाक 25.10.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त मुन्ने पुत्र थानी सिंह निवासी ग्राम सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 10 ली0 अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 329/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुन्ने पुत्र थानी सिंह निवासी ग्राम सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

10 ली0 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. मुख्य आरक्षी 662 प्रशान्त कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी 428 रवि मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 25.10.2024**

थाना नगीना पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.10.2024 को वादिया श्रीमती शबाना पत्नी नजाकत अली निवासी मौ0 सरायमीर कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि दिनांक 24.10.2024 को वादिया बस से धामपुर से नगीना आ रही थी। बस स्टैण्ड पर उतरते समय 02 व्यक्तियों 1.शब्बु उर्फ मौ0 हसन पुत्र खलील अहमद निवासी मुगलपुरा बर्बलान टमटम वाली गली थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद 2.शाहनवाज पुत्र नफीस खाँ निवासी आसरा कॉलोनी थाना गंज जनपद रामपुर ने वादिया का पर्स चोरी कर लिया, जिन्हे वादिया ने जनता के व्यक्तियों की मदद से मौके पर ही पकड लिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 300/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.शब्बु उर्फ मौ0 हसन पुत्र खलील अहमद निवासी मुगलपुरा बर्बलान टमटम वाली गली थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद 2.शाहनवाज पुत्र नफीस खाँ निवासी आसरा कॉलोनी थाना गंज जनपद रामपुर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी किये गये ₹ 700 /- एवं पर्स बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.शब्बु उर्फ मौ0 हसन पुत्र खलील अहमद निवासी मुगलपुरा बर्बलान टमटम वाली गली थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद

2.शाहनवाज पुत्र नफीस खाँ निवासी आसरा कॉलोनी थाना गंज जनपद रामपुर

बरामदगी –

चोरी किये गये ₹ 700 /- एवं पर्स